तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में प्रतीत होते है। अतः जरिये अस्थाई व्यादेश अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर लोहावट द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 109/2021 अनवान देवाराम बनाम छगनी इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 20.10.2021की पालना एवं प्रभाव को आगामी तारीख पेशी दिनांक 24.11.2021 तक स्थगित किया जाता है । तहरीर जारी हो। आदेश 39 की पालना में रेस्पोडेंट्स के सम्मन रजिस्टर्ड ए.डी. डाक से भेजने हेतु अपीलांट्स के अधिवक्ता को दस्ती जारी हों। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर पत्रावली दिनांक 24.11.2021 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर	पोस्टल रसीद प्राप्त संलग्न रवाना 2116-17 25.10.2021
24.11.2021	पत्रावली पेश हुई। अपीलांट के अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता श्री रोशनलाल विश्नोई द्वारा दिनांक 28.10.2021 को प्रस्तुत केवियट प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत वकालतनामा रेकर्ड पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। अधिवक्ता श्री रोशनला विश्नोई द्वारा रेस्पोडेंट संख्या एक की ओर से जवाब स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल रहे। जवाब स्थगन प्रार्थना पत्र की प्रति अपीलांट के अधिवक्ता को दिलाई गई। तत्पश्चात उभय पक्ष के अधिवक्तागण ने सहमति से बिना अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख एवं शेष रेस्पोडेंट्स की बिना तामील के अपील पर बहस सुने जाने का निवेदन किया। उभय पक्ष के निवेदन पर बिना अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलबी एवं शेष रेस्पोडेंट्स की तामील में छूट प्रदान करते हुए अपील पर बहस सुनी गई। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी संयुक्त खातेदारी की आराजी है, जिसमें रेस्पोडेंट संख्या 1 का केवल 1/264 हिस्सा है। वादी द्वारा यह वाद सहखातेदारी की भूमि में स्थाई निषेधाज्ञा बाबत पेश किया। कानूनन एक सहखातेदार अन्य सह खातेदार के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश ही नहीं कर सकता है तथा इस प्रकार के वाद में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। वादी रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा बंटवाड़े का वाद पेश नहीं किया इस कारण अपीलाधीन आदेश किसी भी सूरत में बहाल रखने योग्य नहीं है। वादी द्वारा जमाबंदी में	

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

दर्ज 35 खातेदारों को पक्षकार बनाया तथा अनुतोष केवल 3 प्रतिवादियों के विरूद्ध मांगा हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना वादी के 1/264 हिस्से के स्थान पर संपूर्ण भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी। अंत में अपीलांटके अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावें तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 20 अक्टूबर 2021 को अपास्त फरमाया जावें।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र गलत आधारों पर पेश किया है। स्थगन प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रथमदृष्टया मामला अपीलांट के पक्ष में नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में तारीख 09.11.2021 मुकर्रर थी। अपीलांट द्वारा जवाब प्रस्तुत किये बिना ही सीधे अपील प्रस्तुत कर दी। वादग्रस्त आराजी का बंटवाड़ा करवाये बिना बेचान/हस्तांतरण नही किया जा सकता है। अंत में रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अंतरिम आदेश के विरूद्ध अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज फरमायी जावें।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेख के मुताबिक **वादग्रस्त आराजी संयुक्त खातेदारी की भूमि है, जिसमें वादी का 1/264 हिस्सा निहित है।** अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/रेस्पो. संख्या एक द्वारा संयुक्त खातेदारी भूमि के संबंध में प्रस्तुत स्थाई निषेधाज्ञा के वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट पर प्रार्थी/रेस्पो. संख्या एक को एकतरफा सुनकर, अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकपक्षीय स्थगन आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश एक अंतरिम आदेश है और प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण होना शेष है। ऐसी परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अदालत हाजा की राय में विधि के आलोक में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है, जिसे यथावत रखा जाना विधिसम्मत नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.10.2021 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर विधिसम्मत निर्णय पारित कर उसका निस्तारण तीन माह की अवधि में कर दे।

अधीनस्थ न्यायालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति अविलंब रूप से भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर